UPJB120074972016

**न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, हसनपुर, अमरोहा।**
**पीठासीन अधिकारी – रश्मि सिंह–II – ( उ०प्र० न्यायिक सेवा )**

**J.O. Code–UP4602**

परिवाद संख्या– 413/1999
**राजकुमार बनाम श्रवण कुमार गर्ग**
धारा– 147, (34), 452, 504, 506(2) भा०दं०सं०
थाना– हसनपुर, जनपद–अमरोहा।

**दिनांकः– 23.05.2026**

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त श्वेता मय अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित हैं। अभियुक्ता सुमन को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में अत्यधिक कठिनाई होने के कारण उसकी उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनिश्चित की गयी तथा उसके अधिवक्ता न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। पत्रावली आज धारा 245(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु नियत है। पूर्व में दोनों पक्षकारों को प्रार्थना पत्र पर सुना जा चुका है।

अभियुक्तगण द्वारा संक्षेप में यह कथन किया है कि उपरोक्त वाद में कोई साक्ष्य आरोप बनने के संबंध में नहीं है। प्रार्थिनी सं० 1 के पति एवं प्रार्थिनी सं० 02 के पिता तथा सगे भाई अनुपम अग्रवाल की इसी मुकदमें में असमायिक मृत्यु हो गई। प्रार्थिनी सं० 01 के दोनों घुटने पूरी तरह से खराब है तथा प्रार्थिनी सं० 01 दूसरी मंजिल पर रहती है। जीना भी बहुत संकरा है। ऊपर से बहुत ही बीमार है। इस कारण आने में असमर्थ है। अभियुक्त सरदार सिंह के विरूद्ध मुकदमें की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है तथा सरदार सिंह का उन्मोचन प्रार्थना पत्र स्वीकृत हो चुका है। पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है। इस कारण प्रार्थिनी उपस्थित नहीं हो पा रही है। उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर प्रार्थिनीगण का प्रार्थना पत्र धारा 245(1) दं०प्र०सं० स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद में **परिवादी साक्षी संख्या–1 का मुख्य परीक्षण दिनांक 08.06.2011 को संपन्न कराया गया था।** तत्पश्चात परिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत द्वितीय साक्षी का परीक्षण दिनांक 18.09.2015 को किया गया। उक्त दोनों साक्षियों के परीक्षण उपरान्त वाद आरोप निर्धारण की अवस्था में पहुंच गया तथा प्रकरण को आरोप गठन हेतु नियत किया गया। इसी मध्य सहअभियुक्त संख्या–6 द्वारा धारा 245(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दिनांक 14.12.2017 को सहअभियुक्त संख्या–6 को उन्मोचित किये जाने का आदेश पारित किया गया।

इसके पश्चात वाद की कार्यवाही के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मूल वाद में नामित अभियुक्तों में से **तीन अभियुक्तों की मृत्यु** हो चुकी है। फलस्वरूप न्यायालय द्वारा संबंधित मृत्यु आख्या, सत्यापन रिपोर्ट एवं आवश्यक अभिलेख प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण को प्रतीक्षारत रखा गया। उक्त परिस्थितियों के कारण वाद की कार्यवाही दीर्घ अवधि तक लंबित बनी रही तथा आरोप

निर्धारण की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी।

तत्पश्चात वर्तमान शेष अभियुक्ताओं श्वेता एवं सुमन द्वारा यह निवेदन किया गया कि परिवादी पक्ष के पूर्व परीक्षित साक्षियों का पुनः परीक्षण/प्रतिपरीक्षण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, क्योंकि आरोप निर्धारण के पूर्व उन्हें प्रभावी प्रतिपरीक्षण का पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हो सका था। इस आशय से **अभियुक्ताओं द्वारा दिनांक 03.10.2023 को धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।** न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुनने एवं अभिलेख का परीक्षण करने के उपरान्त यह संतोष व्यक्त किया गया कि न्यायोचित निर्णय हेतु साक्षियों का पुनः परीक्षण आवश्यक एवं उचित है। फलस्वरूप उक्त **प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2023 को स्वीकार किया गया** तथा परिवादी पक्ष के दोनों प्रमुख साक्षियों को पुनः न्यायालय में उपस्थित कर उनका परीक्षण एवं विस्तृत प्रतिपरीक्षण कराया गया।

**पुनः परीक्षण के दौरान दोनों साक्षियों ने परिवाद में वर्णित घटना, आरोपों एवं अभियुक्ताओं की कथित संलिप्तता से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया।** दोनों साक्षियों ने अपने **पूर्व कथनों का समर्थन नहीं किया** तथा अभियुक्ताओं के विरुद्ध लगाए गये आरोपों के संबंध में कोई ठोस, विश्वसनीय अथवा अभियोजन को समर्थन प्रदान करने वाला तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार परिवादी पक्ष के मुख्य साक्ष्य स्वयं अभियुक्ताओं के विरुद्ध अभियोजन कथन का समर्थन करने में पूर्णतः विफल रहे।

**वर्तमान प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा भी न्यायालय को अवगत कराया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र के स्वीकार किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

धारा 245(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट, धारा 244 के अन्तर्गत प्रस्तुत समस्त साक्ष्य लेने के पश्चात यह विचार करता है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला नहीं बनता है, जो यदि अप्रतिवादित रहे तो अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने हेतु पर्याप्त हो, तब अभियुक्त को अन्मोचित किया जायेगा।

वर्तमान वाद में उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण किये जाने पर यह स्पष्ट है कि परिवादी पक्ष के दोनों मुख्य साक्षी अभियुक्ताओं के विरुद्ध लगाए गये आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं तथा परिवाद में वर्णित घटना से ही इन्कार कर चुके हैं। अभिलेख पर ऐसा कोई स्वतंत्र, विश्वसनीय एवं पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर वर्तमान अभियुक्ताओं श्वेता एवं सुमन के विरुद्ध आरोप निर्धारित किये जा सकें अथवा उनके विरुद्ध विचारण आगे बढ़ाया जा सके।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वर्तमान अभियुक्ताओं के विरुद्ध आरोप गठन हेतु कोई पर्याप्त आधार शेष नहीं है तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही जारी रखना न्यायोचित नहीं होगा।

## <u>आदेश</u>

**अभियुक्तगण सुमन एवं शवेता** को **दंड प्रकिया संहिता** की धारा 245(1) के अधीन वर्तमान **परिवाद संख्या 413/1999** अन्तर्गत **धारा 147,(34),452,504,506(2) भा०दं०सं०** के आरोपो से **उन्मोचित** किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

**(रश्मि सिंह–II)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट, हसनपुर,
अमरोहा।
J.O. Code- UP4602